

कार्यालय, प्राचार्य स0व0 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल (म0प्र)

(शासन द्वारा स्वशासी घोषित)

क्रमांक / सवपा / शैक्ष. / 2008 / 674 भोपाल, दिनांक - 2 अगस्त 2008

प्रति,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रभारी,  
स0व0 पॉलीटेक्निक महाविद्यालय भोपाल।

विषय:- तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश तथा फीस विवरण के संबंध में।

सत्र 2008-09 उप सत्र जुलाई में तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्राओं के प्रवेश हेतु अंतिम तिथि 11 अगस्त 2008 निर्धारित की जाती है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

शैक्षणिक विभाग द्वारा भेजे गए पत्र क्रमांक 672 दिनांक 28.07.2008 के साथ संलग्न रा0गां0प्रौ0वि0वि0 के पत्र की छाया प्रति क्रमांक / शैक्ष. / 1504, भोपाल 16.07.2008 में विद्यार्थियों की पात्रता हेतु प्रदान किये गये निर्देशानुसार ही तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश प्रदान करें।

रा0गां0प्रौ0वि0वि0 शुल्क सत्र 2007-2008 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों से निम्नांकित ब (i) के अनुसार शुल्क रू0 190/- (रूपये एक सौ नब्बे मात्र) एवं सत्र 2007-2008 के पूर्व के छात्रों से ब (ii) के अनुसार शुल्क 190 + 90 = 280 (रूपये दो सौ अस्सी मात्र) लिया जाना है।

### तृतीय एवं पंचम सेमेस्टर में प्रवेश शुल्क

#### (अ) संस्थागत शुल्क का विवरण

1	शिक्षण शुल्क	रू0	10,000/-
2	समेकित निधि(प्रवेश शुल्क)	रू0	05/-
3	छात्र सहायता निधि	रू0	05/-
4	स्थानीय परीक्षा शुल्क	रू0	20/-
5	अमलगमेटेड शुल्क	रू0	40/-
6	स्थानीय क्रीड़ा शुल्क	रू0	50/-
7	प्रशिक्षण प्लेसमेंट निधि	रू0	100/-
8	अन्य शुल्क		
कुल रू0		10,220/-	या 5,220/-

#### (ब) विश्वविद्यालय शुल्क का विवरण

##### (i) तृतीय सेमेस्टर

1	अंतर पॉली0 क्रीड़ा शुल्क	रू0	50/-
2	विश्वविद्यालय विकास शुल्क	रू0	100/-
3	अंतर पॉली0 सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	रू0	40/-
कुल रू0			190/-

##### (ii) पंचम सेमेस्टर

1	अंतर पॉली0 क्रीड़ा शुल्क	रू0	50/-
2	विश्वविद्यालय विकास शुल्क	रू0	100/-
3	अंतर पॉली0 सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	रू0	40/-
4	छात्र सहायता निधि	रू0	30/-
5	बुक बैंक पुस्तक स्टूडेंट	रू0	20/-
6	स्टूडेंट एक्सीडेंट फंड	रू0	20/-
7	स्टूडेंट डिसेबल फंड	रू0	20/-
कुल रू0			280/-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के द्वारा मार्च 2008 तक का नवीन आय-प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार शिक्षण शुल्क में छूट प्रदाय की जावेगी :-

- 1 वार्षिक आय 1,20,000 तक (निरंक) पूर्ण शिक्षण शुल्क की छूट होगी ।
- 2 वार्षिक आय 1,20,000 से 1,80,000 तक 50 % प्रतिशत छूट होगी
- 3 वार्षिक आय 1,80,000 से ऊपर पूर्ण शिक्षण शुल्क देय होगी।

अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु

वार्षिक आय रू0 75,000/- पर पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट होगी ।

ग्रीन कार्ड

ग्रीन कार्ड की सुविधा हेतु संचालक तकनीकी शिक्षा पत्र क्रमांक/4/शैक्ष. /ए/07/1634, भोपाल दिनांक 22.09.07 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण नियोजन विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक एफ-10/101/2001/17/मेडी/-2 दिनांक 30.08.07 एवं पृष्ठांकन क्रं0 / एफ - 10/101/2001/17/मेडी-2 दिनांक 30.08.2007 के द्वारा दिनांक 13.05.03 के पूर्व नसबंदी कराने वाले पालकों के बच्चों को पूर्ण शिक्षण शुल्क में छूट की पात्रता रहेगी । दिनांक 13.05.2003 के पश्चात् नसबंदी करने वाले उन्हीं पालकों के बच्चों को उक्त सुविधाएं प्राप्त होगी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले की श्रेणी में आते हैं और तत्संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदाय किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं ।

छात्र/छात्राओं को सूचित करने हेतु उपरोक्त तथ्यों से संबंधित सूचना विभाग के सूचना पटल पर चरपा करें । फीस जमा करने के पश्चात् चालान फार्म/प्रवेश फार्म विभागों से अभिप्रमाणित करने के पश्चात् उपरोक्तानुसार प्रवेश की कार्यवाही पूरी कर सेमेस्टरवार एवं श्रेणीवार प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सूची दिनांक 20.08.2008 तक शैक्षणिक विभाग में भेजने की व्यवस्था करें ।

(टी0के0श्रीवास्तव)

प्राचार्य

स0व0पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,  
भोपाल

पृ0क्रमांक/सवपा/शैक्ष./2008/675 भोपाल, दिनांक 02 अगस्त 2008

प्रतिलिपि:-

- 1 विभागाध्यक्ष .....स0व0पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल ।
- 2 लेखा पाल, स0व0पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल ।
- 3 मुख्य सूचना पटल, स0व0पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, भोपाल ।
- 4 प्र0विभागाध्यक्ष कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग विभाग, कृपया संस्था की वेब साइट पर प्रदर्शित करावें ।

(टी0के0श्रीवास्तव)

प्राचार्य

स0व0पॉलीटेक्निक महाविद्यालय,  
भोपाल